



नम आंखों से 'दादा' को अंतिम विदाई, शोक में डूबा बारामती

(जीएनएस)। बारामती के लिए वह सुबह किसी भी आम सुबह जैसी नहीं थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, गलियों में भीड़ थी, लेकिन आवाज़ें नहीं थीं। हर चेहरे पर शोक, हर आंख में नमी और हर दिल में एक ही सवाल—क्या वाकई 'दादा' अब लौटकर नहीं आएंगे? जब उपमुख्यमंत्री अजित पवार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव काटेवाड़ी लाया गया, तो पूरा इलाका मानो ठहर गया। आसपास के गांवों, कस्बों और शहरों से लोग बिना किसी बुलावे के उमड़ पड़े। किसी के हाथ में फूल थे, किसी की आंखों में आंसू, तो कोई बस चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। यह दृश्य किसी राजनीतिक नेता का नहीं, बल्कि परिवार के एक मजबूत स्तंभ को खो देने का था। सुबह होते ही काटेवाड़ी की ओर जाने वाले रास्तों पर लोगों की कतारें लग गईं। बुजुर्ग लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रहे थे, महिलाएं सिसकियां दबाने की कोशिश कर रही थीं और युवा अपनी आंखें पोंछते हुए आगे बढ़ रहे थे। घर के बाहर अंतिम दर्शन के लिए लंबी लाइनें थीं। जैसे ही पार्थिव शरीर को रखा गया, वहां मौजूद कई लोग

खुद को संभाल नहीं पाए। कुछ महिलाएं रोते-रोते जमीन पर बैठ गईं, कई लोग हाथ जोड़कर मौन प्रार्थना में डूब गए। बीच-बीच में "अजित दादा अमर रहें" और "अजित दादा परत या" के नारे गुंजते, लेकिन उनमें उत्साह नहीं, बल्कि टूटते दिलों की वेदना साफ झलकती थी। अंतिम दर्शन के बाद जब पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा के लिए ले जाया गया, तो बारामती की सड़कों पर जनसेलाब उमड़ पड़ा। फूलों से सजा शव वाहन जैसे ही आगे बढ़ा, पूरा शहर ठहर सा गया। सड़क के दोनों ओर हजारों लोग खड़े थे। कई लोग अपने घरों की छतों पर चढ़ गए थे, ताकि आखिरी बार दादा का दीदार कर सकें। दुकानों के शटर आधे गिरे थे, ट्राफिक थम चुका था और हर निगाह उसी एक वाहन पर टिकी थी। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि जनता और उनके नेता के बीच बने उस गहरे रिश्ते की आखिरी झलक थी, जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। अंतिम यात्रा बारामती के उन्हीं इलाकों से होकर गुजरी, जहां अजित पवार ने दशकों तक राजनीति की, जनता से संवाद किया



और विकास की नींव रखी। हर मोड़ पर फूलों की बारिश हुई, कहीं मौन श्रद्धांजलि दी गई, तो कहीं लोग फूट-फूटकर रो पड़े। समर्थकों का कहना था कि अजित पवार

सिर्फ नेता नहीं थे, बल्कि हर मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने वाले अपने आदमी थे। यही वजह थी कि उनकी विदाई में राजनीति की सीमाएं टूटती नजर आईं। इस दुखद घड़ी में पवार परिवार का दर्द सबसे ज्यादा छलक रहा था। बेटे पार्थ और जय अपने पिता के पार्थिव शरीर के पास खड़े थे। दोनों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जब अंतिम संस्कार का समय आया, तो दोनों ने एक-दूसरे का हाथ थामकर पिता को मुखाग्नि दी। उस पल वहां मौजूद हर शख्स की आंखें भर आईं। महाराष्ट्र पुलिस की ओर से गोलियों की सलामी दी गई, शोक का विगल बजा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अजित पवार पंचतत्व में विलीन हो गए। इस पूरे समय सुप्रिया सुले का रूप हर किसी को भीतर तक छू गया। राजनीतिक मतभेदों से परे, वह एक मजबूत सहारा बनकर परिवार के साथ खड़ी रहीं। अस्पताल से लेकर अंतिम संस्कार तक उन्होंने सुनेजा पवार का हाथ थामे रखा। पति को अचानक खोने के सदम से टूट चुकी सुनेजा पवार को संभालते हुए सुप्रिया कई बार खुद भी फूट-फूटकर रो पड़ीं। उन्होंने पार्थ को गले लगाया, जय के सिर पर हाथ रखकर उसे ढंढस बंधाया। यह दृश्य राजनीति का नहीं, बल्कि एक भारतीय परिवार के गहरे मानवीय रिश्ते का था, जिसे हर देखने वाले की आंखें नम कर दें। अजित पवार को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए राजनीति, सिनेमा और सामाजिक जगत की कई बड़ी हस्तियां बारामती पहुंचीं। हर किसी की जुबान पर यही बात थी कि महाराष्ट्र ने एक मजबूत, जमीनी और विकास को प्राथमिकता देने वाले नेता को खो दिया है। दिन चलने के साथ भीड़ धीरे-धीरे छंट गई, लेकिन बारामती की फिजाओं में सन्नाटा और दिलों में भारीपन बना रहा। लोग जानते थे कि समय आगे बढ़ेगा, राजनीति चलती रहेगी, लेकिन 'दादा' की वह मौजूदगी, उनका अंदाज और जनता से उनका रिश्ता अब सिर्फ यादों में रह जाएगा। नम आंखों से दी गई यह विदाई इस बात की गवाह बनी कि अजित पवार सिर्फ सत्ता का नाम नहीं थे, बल्कि लोगों के दिलों में बसने वाली एक पहचान थे, जो बरसों तक जिंदा रहेगी।

पंजाब में समाजता के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की बड़ी पहल, जालंधर में बनेगा श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र

(जीएनएस)। जालंधर। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पंजाब सरकार ने एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम उठाया है। करीब छह सौ वर्ष पहले संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास द्वारा दिए गए मानवता, समानता और सामाजिक न्याय के विचारों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए जालंधर जिले में डेरा बल्लू के निकट श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना को न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश में एक अनूठी पहल के रूप में देखा जा रहा है, जो सामाजिक चेतना और समावेशी सोच को मजबूती देने का काम करेगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार श्री गुरु रविदास जी की शिक्षाओं और विचारधारा को विश्व स्तर पर फैलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह अध्ययन केंद्र केवल एक भवन या संस्थान नहीं होगा, बल्कि यह समानता, बंधुत्व और सामाजिक सौहार्द के मूल्यों का जीवंत केंद्र बनेगा। सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 10 करोड़ रुपये की लागत से जालंधर जिले में 9 एकड़ से अधिक भूमि इस अध्ययन केंद्र के नाम में खरीदी है। वित्त मंत्री ने बताया कि इस उद्देश्य के लिए



कुल तीन रजिस्ट्रियां पूरी की गई हैं। इनमें गांव नौगाजा की रजिस्ट्री, जिसका क्षेत्रफल 64 कनाल 5 मरले है और जिसकी लागत 5 करोड़ 40 लाख 98 हजार 500 रुपये है, शामिल है। इसके अलावा गांव फरीदपुर में दो रजिस्ट्रियां की गई हैं, जिनमें पहली रजिस्ट्री 2 कनाल भूमि की है, जिसकी लागत 16 लाख 74 हजार रुपये रही, जबकि दूसरी रजिस्ट्री 10 कनाल 14 मरले भूमि की है, जिस पर 1 करोड़ 44 लाख 62 हजार 150 रुपये खर्च हुए हैं। इस तरह कुल 76 कनाल 19 मरले भूमि इस अध्ययन केंद्र के लिए ली गई है, जिसकी कुल लागत 7 करोड़ 2 लाख 54 हजार 659 रुपये बताई गई है। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह अध्ययन केंद्र आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी ज्ञान का एक मजबूत प्रकाश स्तंभ बनेगा। इसका मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को श्री गुरु रविदास जी के जीवन, संघर्ष और विचारों से परिचित करना है, ताकि वे सामाजिक

भेदभाव, ऊंच-नीच और असमानता के खिलाफ जागरूक हो सकें। उन्होंने कहा कि श्री गुरु रविदास जी ने अपने समय में ही जाति, वर्ग और आर्थिक भेदभाव को नकारते हुए एक ऐसे समाज की कल्पना की थी, जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और समान मिले। आज के दौर में उनके विचार और भी अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र का उद्देश्य केवल अकादमिक शोध तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह एक जीवंत सामाजिक मंच के रूप में काम करेगा। यहां सेमिनारों, शोध कार्यक्रमों, प्रकाशनों और समुदाय-आधारित गतिविधियों के माध्यम से श्री गुरु रविदास जी की शिक्षाओं का संरक्षण, अध्ययन और प्रचार किया जाएगा। देश-विदेश के विद्वानों, सामाजिक चिंतकों और शोधकर्ताओं को इस केंद्र से जोड़ने की योजना भी बनाई जा रही है, ताकि गुरु रविदास जी के विचारों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिल सके। सरकार का मानना है कि इस तरह की पहल से समाज में व्याप्त सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने और उन्हें दूर करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा सकेंगे।

एग्रीस्टैक को लेकर बिहार सरकार का बड़ा एक्शन, मिशन मोड में फार्मर रजिस्ट्री, लक्ष्य पूरा करने वाले जिलों को मिलेगा इनाम

(जीएनएस)। पटना। बिहार में किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा, पारदर्शी और समयबद्ध लाभ दिलाने की दिशा में राज्य सरकार ने एग्रीस्टैक परियोजना को मिशन मोड में आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इसी क्रम में बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यक्ष अमृत की अध्यक्षता में एग्रीस्टैक की प्रगति को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें अब तक किए गए कार्यों, उपलब्धियों और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में साफ संकेत दिया गया कि आने वाले दिनों में इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा और इसमें ढिलाई बरतने वाले जिलों से जवाबदेही भी तय की जाएगी। बैठक के दौरान विस्तृत प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया गया कि 2 फरवरी से 6 फरवरी तक प्रचार किया जाएगा। देश-विदेश के विद्वानों, सामाजिक चिंतकों और शोधकर्ताओं को इस केंद्र से जोड़ने की योजना भी बनाई जा रही है, ताकि गुरु रविदास जी के विचारों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिल सके। सरकार का मानना है कि इस तरह की पहल से समाज में व्याप्त सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने और उन्हें दूर करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा सकेंगे।



हुए कहा कि एग्रीस्टैक केवल एक तकनीकी परियोजना नहीं, बल्कि किसानों के जीवन में बदलाव लाने वाला माध्यम है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सभी अधिकारियों को राज्य हित को सर्वोपरि रखते हुए समन्वय के साथ काम करना होगा। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि एग्रीस्टैक के कार्यों में तेजी लाई जाए, ताकि बिहार जल्द से जल्द इस परियोजना के दूसरे चरण में प्रवेश कर सके। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदर्शन के आधार पर जिलों को प्रोत्साहित करेगी। जो जिले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित किसानों को 50 प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री लक्ष्य पूरा करेंगे, उन्हें सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं, जिन जिलों के लिए 35 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वे इसे पूरा करने पर 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि के पात्र होंगे। इस फैसले से जिलों के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। बैठक में एक अहम फैसला यह भी लिया गया कि फार्मर रजिस्ट्री के लिए किसानों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।

मुख्य सचिव ने साफ निर्देश दिया कि पूर्व में कॉमन सर्विस सेंटर और वसुधा केंद्रों के माध्यम से लिए जाने वाले 15 रुपये के सेवा शुल्क को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब इस शुल्क का वहन संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा, जिससे किसानों पर किसी तरह का आर्थिक बोझ न पड़े। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी स्तर पर यह महसूस नहीं होना चाहिए कि सरकारी प्रक्रिया उनके लिए खर्चीली या जटिल है। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों में से कम से कम 50 प्रतिशत किसानों को फार्मर रजिस्ट्री तय समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित करें। जिन जिलों में फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति पहले से संतोषजनक है, वहां और बेहतर प्रदर्शन के लिए अतिरिक्त प्रयास करने को कहा गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह काम केवल आंकड़े पूरे करने के लिए नहीं, बल्कि किसानों के हित में स्थायी व्यवस्था खड़ी करने के लिए प्रेरित किया गया। यह बिहार के लिए गर्व का विषय माना जा रहा है। मुख्य सचिव ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों की विशेष रूप से प्रशंसा की और उन्हें बधाई दी। जिन जिलों का नाम सराहनीय कार्यों के लिए सामने आया, उनमें वैशाली, शिवहर, बेगूसराय, बक्सर, शेखपुरा और कटिहार प्रमुख हैं।

न्याय की चौखट पर ठहरा यूजीसी का नया नियम, सुप्रीम 'ब्रेक' ने खोले बड़े सवाल

(जीएनएस)। नई दिल्ली। सवाल सिर्फ जीत या हार का नहीं है, न ही इसे किसी एक वर्ग की सफलता या सरकार के लिए झटके के रूप में देखा जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (यूजीसी) के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक दरअसल देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक संतुलन और संवैधानिक मूल्यों से जुड़ा एक गहरा संदेश है। पिछले कई दिनों से जिस मुद्दे पर देश के अलग-अलग शहरों में विरोध, बहिंस और अस्तंभ देखने को मिल रहा था, उस पर शीर्ष अदालत का हस्तक्षेप यह बताता है कि मामला केवल नीतिगत बदलाव का नहीं, बल्कि समाज की दिशा तय करने वाला है। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुब्ब्रमण्यम और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ ने यूजीसी के 13 जनवरी को अधिसूचित नए नियमों पर फिलहाल फुल स्टॉप लगा दिया। अदालत ने साफ कहा कि इन नियमों की भाषा स्पष्ट नहीं है और यदि समय रहते इसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया तो इसके "खतरनाक परिणाम" हो सकते हैं। कोर्ट की यह टिप्पणी अपने-आप में बेहद गंभीर है, क्योंकि इसमें केवल कानूनी खामियों की बात नहीं, बल्कि सामाजिक विभाजन की आशंका भी झलकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर शिक्षा संस्थानों में ही भेद और अलगाव की भावना पैदा होगी तो समाज में एकता कैसे बनी रहेगी। अदालत ने अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां एक समय अश्वेत और श्वेत छात्रों के लिए अलग-अलग स्कूल हुआ करते थे और भारत को ऐसी स्थिति की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि देश की एकता हमारे स्कूलों और कॉलेजों के कैम्पस में दिखनी चाहिए, न कि वहां से विभाजन की रेखाएं खिंचनी चाहिए।



न्यायालय ने यह भी माना कि संविधान राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है, लेकिन किसी भी कानून या नियम में भेदभाव नहीं होना चाहिए। यूजीसी के नए नियमों को लेकर अदालत की सबसे बड़ी आपत्ति यही रही कि जाति से जुड़े प्रावधान अस्पष्ट हैं और उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसी वजह से कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी करते हुए कहा कि इन नियमों को दोबारा ड्राफ्ट किया जाए और इसके लिए प्रसिद्ध शिक्षाविदों, न्यायविदों और सोशल इंजीनियर्स की एक विशेष समिति बनाई जाए, जो इन प्रावधानों की गहन जांच करे। इस आदेश के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि आगली सुनवाई 19 मार्च को होगी और तब तक देशभर में 2012 के यूजीसी नियम ही लागू रहेंगे। यही बड़ा बिंदु है, जिसे सामान्य वर्ग के एक बड़े हिस्से ने अपनी जीत के रूप में देखा है। बीते दिनों सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे छात्रों और अभिभावकों का कहना था कि नए नियम उनके साथ भेदभाव करते हैं और समान अवसर के अधिकार का हनन

भाषा जितनी स्पष्ट होगी, उसका प्रभाव उतना ही न्यायसंगत होगा। अब सवाल उठता है कि जिस 2012 के नियम को कोर्ट ने फिलहाल लागू रखने का आदेश दिया है, वह क्या कहता है। वर्ष 2012 में यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने और भेदभाव रोकने के लिए नियम बनाए थे। ये नियम जाति, धर्म, लिंग और भाषा सहित सभी प्रकार के भेदभाव पर लागू होते थे। इसके तहत हर संस्थान में 'इक्वलिटी ऑफ़ ऑपच्युनिटी सेल' और 'एंटी-डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर' की नियुक्ति का प्रावधान था। किसी भी छात्र या उसके अभिभावक को भेदभाव की शिकायत होने पर लिखित रूप में शिकायत दर्ज कराने का अधिकार था और संस्थान को 60 दिनों के भीतर उस पर फैसला करना होता था। जांच के बाद दोषी पाए जाने पर छात्र, शिक्षक या कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की शिफारिश की जाती थी। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि 2012 के नियमों में कार्रवाई की बजाय सुझाव का भाव ज्यादा था और यही वजह रही कि समय-समय पर इन्हें और सख्त बनाने की मांग उठती रही। रोहित वेमुला और पायल तडवी के मामलों के बाद उनके परिजनों ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद में सुरक्षा और समर्थन की जरूरत है, उन्हें वह मिले, लेकिन इसके नाम पर समाज में नई खाई न बने। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में दायर याचिकाओं में इन्हें सामान्य वर्ग के खिलाफ और भेदभावपूर्ण बताया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये नियम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में समानता के सिद्धांत को कमजोर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को गंभीरता से लिया और कहा कि कानून की



गरवी गुजरात
हिन्दी



Jio Air Fiber



Jio Tv +



Jio Fiber



Daily Hunt



ebaba TV



Dish Plus



DTH live OTT



Rock TV



Airtel



Amezone Fire



Roku Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही गरवी गुजरात हिंदी चैनल देखिये

